

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/2016/ 4923-40 जयपुर, दिनांक 10.5.16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),  
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,  
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,  
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,  
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय:- अभाव खरीफ सम्वत् 2072 में अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में  
आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.5.2016 में सम्वत् 2071 की भांति सम्वत् 2072 हेतु राज्य सरकार द्वारा खरीफ सम्वत् 2072 के अभावग्रस्त जिलों में तुरंत प्रभाव से आपातकालीन पेयजल व्यवस्था प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। राज्य के अभावग्रस्त जिलों में खरीफ सम्वत् 2072 में अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले के कुल गांवों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जा सकती है एवं शेष जिलों कमशः चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनूं एवं नागौर में घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण आवश्यकतानुसार केवल अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में ही पेयजल परिवहन व्यय राज्य मोचन निधि (एसडीआरएफ) से देय होगा तथा शेष क्षेत्रों के लिये पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जावेगी।

इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्र. एफ 4(1) आ.प्र.एवं सहा./  
पेयजल/2016/3774-705 दिनांक 13.4.2016 एवं समसंख्यक आदेश क्र. 4904-22  
दिनांक 10.5.16 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,



शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।

7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ10प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ10प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. गार्ड फार्डत।

  
शास्त्रि उष सचिव